न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपीलः 12/2017
दायर दिनांकः 17.04.2017
निर्णय दिनांक 27.05.2019

—:अनवान:—

कसन कुंवर पुत्री पदमसिंह पत्नी भंवरसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी गोवर्धनपुरा खेमपुर तहसील मावली जिला उदयपुर

———अपीलांट

—:बनाम:—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा
2. श्री भवानीसिंह पिता पदमसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी बोर का कुंआ, नेडच तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. श्री रूपसिंह पिता पदमसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी बोर का कुंआ, नेडच तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4. श्री गोवर्धनसिंह पिता रामसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी बोर का कुंआ, नेडच तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
5. मानसिंह पिता रामसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी बोर का कुंआ, नेडच तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
6. दाखु कुंवर बेवा रामसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी बोर का कुंआ, नेडच तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

———रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 94 स्वीकृत दिनांक 27.05.1993 द्वारा तहसीलदार, नाथद्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1– श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3– रेस्पोडेण्टगण संख्या 02 से 06 अनुपस्थित

—::निर्णय::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा राजस्व ग्राम बोर का कुंआ, पटवार हल्का नेडच, तहसील नाथद्वारा में आराजी संख्या 56 से लगायत 88 तक एवं 92, 93 तथा 95 से लगायत 108, 113, 115 से लगायत 129 तक कुल किता 64 कुल रकबा 43.02 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि अपीलार्थी के पिता पदमसिंह के नाम पर खातेदारी मे दर्ज रही थी। पदमसिंह की मृत्यु के बाद विरासत से खोले गये नामान्तरकरण मे अपीलार्थी का नाम दर्ज न कर

रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03 व 04 से 06 के पिता/पति रामसिंह एवं हमेरकुंवर बेवा पदमसिंह के नाम पर दर्ज कर दी गई जबकि अपीलार्थी भी पदमसिंह की पुत्री होने से हिन्दु विधि अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसका भी समान समान हक अधिकार है लेकिन रेस्पोडेन्ट्स ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर वारिसानों की सही जांच किये बगैर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त नामान्तरण फैसल होने की कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी होते ही जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को न्यायहित में कन्डोन फरमाया जाकर अपील को अवधि में शुमार करवाया जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्टगण संख्या 02 से 06 अनुपस्थित।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि राजस्व ग्राम बोर का कुंआ, पटवार हल्का नेडच, तहसील नाथद्वारा में आराजी संख्या 56 से लगायत 88 तक एवं 92, 93 तथा 95 से लगायत 108, 113, 115 से लगायत 129 तक कुल किता 64 कुल रकबा 43.02 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि अपीलार्थी के पिता पदमसिंह के नाम पर खातेदारी मे दर्ज रही थी। पदमसिंह की मृत्यु के बाद विरासत से खोले गये नामान्तरकरण मे अपीलार्थी का नाम दर्ज न कर रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03 व 04 से 06 के पिता/पति रामसिंह एवं हमेरकुंवर बेवा पदमसिंह के नाम पर दर्ज कर दी गई जबकि अपीलार्थी भी पदमसिंह की पुत्री होने से हिन्दु विधि अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसका भी समान समान हक अधिकार है लेकिन रेस्पोडेन्ट्स ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर वारिसानों की सही जांच किये बगैर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। जिसमें अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं किया गया। आक्षेपित नामान्तरण विरासत के आधार पर खुला है जबकि कानूनन विरासत के नामान्तरण को खोलने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। इसके विपरित तहसीलदार, नाथद्वारा ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर व अपीलार्थी जो कि स्व0 पदमसिंह की पुत्री है, को सुने बगेर दिनांक 27.05.1993 को नामान्तरण स्वीकृत कर आदेश पारित कर दिया गया। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2002 (2) पेज 723, आर0आर0टी0 2002 (2) पेज 850, आर0आर0डी0 1998 पेज 319, आर0आर0डी0 2011 पेज 275, आर0आर0टी0 2002 (2) पेज 966, आर0आर0टी0 2002 (2) पेज 1315, आर0आर0डी0 2004 पेज 97, आर0आर0टी0 2002 (1) पेज 257, आर0आर0टी0 2002 (1) पेज 269, आर0आर0टी0 2002 (1) पेज 640, आर0आर0डी0 1994 पेज 214 व आर0आर0डी0 1994 पेज 606 पेश कर निवेदन किया है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 94 दिनांक 27.05.1993 को अपास्त

जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

फरमाया जावें तथा अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में पदमसिंह के विधिक वारिसान के रूप में अंकन किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, नाथद्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांकः 27.05.1993 को स्वीकृत किये गये विरासत के नामान्तरण संख्या 94 को इस आधार पर चुनोति दी गयी हैं कि अपीलांट स्व0 श्री पदमसिंह की पुत्री होने से हिन्दु विधि अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसका भी अपने स्व0 पिता की भूमियों में समान समान हक अधिकार है। आक्षेपित नामान्तरण संख्या 94 का अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी के द्वारा नामान्तरण भरे जाने में दिनांक अंकित नहीं की गयी हैं तथा विरासत का सजरा भी नहीं बनाया गया तथा विरासत की भी कोई जांच नहीं की गयी हैं और सीधा ही नामान्तरण तहसीलदार से स्वीकृत करवा लिया गया है जो न्यायोचित नहीं हैं। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय हैं कि अपीलांट का नाम विरासत के नामान्तरण में छोड़े जाने का कोई आधार अर्थात अपीलांट की ओर से हक त्याग आदि किया हो ऐसा कोई प्रमाण भी पत्रावली पर रेस्पोण्डेंट द्वारा पेश नहीं किया गया हैं जबकि अपीलार्थी भी हिन्दु विधि अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण समान अधिकार रखती है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आक्षेपित नामान्तरण को निरस्त किया जाकर प्रकरण में स्व0 पदमसिंह के सही वारिसान की जांच कर नये सिरे से नियमानुसार सभी वारिसान के नाम पर नामान्तरण आदेश पारित करने का निर्णय दिया जाता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 94 दिनांकः 27.05.1993 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार, नाथद्वारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक पदमसिंह के समस्त विधिक वारिसान की पुनः जांच की जावे एवं नये सिरे से सभी वारिसान के नाम पर नियमानुसार नामान्तरकरण फैसल किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 27.05.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द